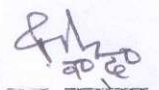


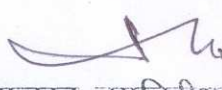
सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र

थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग किमी. 2 से चोपड़ाकोट तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ग्राम तोलना, हीण व नैणा चोपड़ाकोट की 1.977 हे. सिविल/वनपंचायती भूमि प्रभावित हो रही है तथा 0.390 हे. सिविल भूमि मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। अर्थात् 2.367 सिविल/वनपंचायती भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम तोलना के खाता नं. 3 खसरा नं 252 रकवा 5.309 मध्ये 4.740 हे. सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में नान जेड ए श्रेणी 9 (3) ड, अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि दर्ज है। जो पटवारी क्षेत्र-माणखी, तहसील-घाट, जिला-चमोली के नियंत्रणाधीन है।

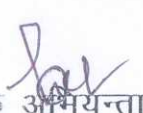
शासनादेश संख्या 883(i)/X-3/2011/8 (21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882/viii(2)/ 11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक माणखी द्वारा दिनांक 13.03.2015 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं हैं, तथा वन स्वरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरूप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

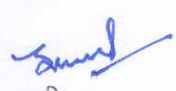

वन दरोगा
 प्रमाणित


राजस्व उपनिरीक्षक
 माणखी


वन क्षेत्राधिकारी
 चमोली जिला


सहायक अभियन्ता


अभिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.
 कर्णप्रयाग (चमोली)


तहसीलदार,
 चमोली


उपजिलाधिकारी


प्रभागीय अधिकारी
 उष-वन संरक्षक
 माणखी (चमोली)


जिलाधिकारी
 चमोली
जिलाधिकारी
 चमोली

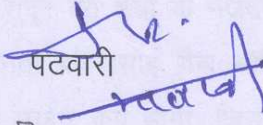
परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण —पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X-3 /2011 /8 (21) / 2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X-3/ 2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल /वन पंचाती भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) ख, ग व ड में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

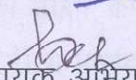
अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


अमीन
J.E.


पटवारी


तहसीलदार


उप जिलाधिकारी


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


बन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग


प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
बन विभाग
चोपडा (चमोली)